

73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं

73 वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों, उनके निर्माण और संरचना से संबंधित है।

73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायती राज संस्थाएं देश में शासन का तीसरा स्तर हैं अर्थात् केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार

73 वें संशोधन से पहले संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को एक पारित संदर्भ के रूप में वर्णित किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, राज्य ग्रामीण शासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू की गई थी, लेकिन यह प्रणाली पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं की जा सकी क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं थी। पीआरआई को जमीनी लोकतंत्र की संस्थाओं के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए 73वें संशोधन की आवश्यकता थी।

73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं का सारांश।

प्रावधान	अनिवार्य प्रावधान	विवेकाधीन प्रावधान
ग्राम सभा	ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना जिसमें ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र में आने वाले गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत लोग शामिल हों।	ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य
त्रिस्तरीय व्यवस्था	पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर विद्यमान है	20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य के लिए मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के प्रावधान को समाप्त किया जा सकता है
प्रत्यक्ष चुनाव	सभी सीटें पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनाव के माध्यम से चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाती हैं	पंचायत की संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य को मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का सदस्य बनाया जा सकता है
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण पंचायत के सदस्यों के रूप में	पंचायत में सदस्यों के रूप में और किसी भी पंचायत में उनकी आबादी के आधार पर अध्यक्ष का कार्यालय आरक्षित है।	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और पंचायत के अध्यक्ष विभिन्न स्तरों में उनकी आबादी पर सीटें आरक्षित हैं
महिलाओं के लिए आरक्षण	पंचायत और अध्यक्ष के कार्यालय में सदस्यता का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है	सीटों को उनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायत के सदस्यों के रूप में महिलाओं के पक्ष में आरक्षित किया जाता है

पंचायत का कार्यकाल	पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है	
विघटन	यदि किसी पंचायत को समाप्ति से पहले भंग कर दिया जाता है 5 साल, में 6 महीने के अंदर नए सिरे से चुनाव कराने होंगे	
अधिकार और जिम्मेदारी	संशोधन अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं है	➤ पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएगी। ➤ पंचायतों को उचित स्तरों पर शक्तियों और उत्तरदायित्व के हस्तांतरण का प्रावधान ➤ ग्राम कार्य योजना की तैयारी ➤ हर घर जल योजना का कार्यान्वयन क्योंकि यह ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषय का हिस्सा है ➤ पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाने के लिए अधिकृत करना

राज्य पंचायती राज अधिनियम

राज्य पंचायती राज अधिनियम:

राज्य सरकारें 73वें संशोधन अधिनियम के तहत सूचीबद्ध प्रावधानों का अनुपालन करती हैं। तथापि, ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को कार्य और शक्तियों को हस्तांतरित करने के विवेकाधीन प्रावधानों के संबंध में सभी राज्यों में भिन्नताएं होती हैं।

पेसा अधिनियम, 1996 - प्रावधान:

पेसा एक केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून है - अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में इस कानून को लागू करने के लिए आदिवासी बहुल राज्यों (संविधान की अनुसूची V में सूचीबद्ध) को एक साल की समय सीमा के साथ 24 दिसंबर 1996 को अधिनियम लागू हुआ।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में जनजातीय आबादी 10 करोड़ है। ये आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

देश की अनुसूचित जनजाति की आधी से अधिक आबादी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात राज्यों में केंद्रित है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी उनकी मौजूदगी है।

भारत के संविधान द्वारा जनजातीय आबादी को दी गई सुरक्षा के बावजूद, अनुसूचित जनजाति अभी भी देश में सबसे पिछड़ा जातीय समूह है। वे मानव विकास के तीन महत्वपूर्ण संकेतकों - शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पर बहुत नीचे हैं।

PESA आदिवासी समुदाय को (अनुसूची V-क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को दी गई विशेष शक्तियों के माध्यम से) प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देते हुए - जनजातीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में मौलिक स्व-शासन शक्तियाँ देता है।

ग्राम सभा

ग्राम सभा का अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 243B और 243A और PESA अधिनियम के कारण है।

ग्राम सभा का गठन कौन करता है:

गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो मतदाता सूची में सूचीबद्ध हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं।

ग्राम सभा और महिलाएं:

महिलाएं ग्राम सभा की सदस्य होती हैं और गणपूर्ति का अभिन्न अंग होती हैं। कई राज्य पंचायती राज अधिनियमों में महिलाओं की न्यूनतम गणपूर्ति का प्रावधान किया गया है। पंचायतों में कार्यक्रमों एवं योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। हर घर जल के तहत यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महिलाएं प्राथमिक जल प्रबंधक हैं। ग्राम सभा में निर्णय लेने के लिए महिलाओं को बड़ी संख्या में भाग लेना पड़ता है और ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता है।

शक्ति और अधिकार:

ग्राम सभा के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में शक्ति और अधिकार हैं:

- i.) योजना और बजट बनाना
- ii.) गांव के लिए उपयोगी विकास गतिविधियों को शुरू करना
- iii.) योजना का निष्पादन
- iv.) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार
- v.) स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में निर्णय लेना
- vi.) निगरानी और कार्यान्वयन
- vii.) संस्थाओं, संस्थानों के कर्मचारियों पर नियंत्रण
- viii.) ग्राम स्तर पर सामान्य संसाधन
- ix.) किसी भी योजना के तहत लाभार्थी का नाम शामिल करना और हटाना
- x.) ग्राम सभा में निर्णय लेना
- xi.) ग्राम सभा के माध्यम से पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा, कौशल विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करना

ग्राम सभा के स्तर पर प्रक्रिया:

ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से अस्तित्व में आती है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा के कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

ग्राम सभा की बैठक बैठक के एजेंडे द्वारा निर्देशित और सुगम होती है। ग्राम विकास पर निर्णयों के माध्यम से ग्राम सभा शक्ति का प्रयोग करती है

बैठक और कोरम:

ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सरपंच / मुखिया के पास होती है। यदि सरपंच जिम्मेदारी लेने में विफल रहता है, तो यह पंचायत सचिव को स्थानांतरित कर देता है। ग्राम सभा के आयोजन में राज्यों की भी भूमिका होती है।

ग्राम सभा की कम से कम चार बैठकें एक वर्ष में आयोजित करनी होती हैं। जिन तारीखों को अनिवार्य ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है वे हैं -

- i.) 26 जनवरी 1 मई

iii.) 15 अगस्त iv.) 2 अक्टूबर

चार अनिवार्य बैठकों के अलावा, ग्राम पंचायत को एक वर्ष में दो और बैठकें बुलानी होती हैं -

i.) ग्राम पंचायत की योजना और बजट के अनुमोदन के लिए वार्षिक बैठक

ii.) ऑडिट रिपोर्ट सहित वार्षिक प्रशासनिक और वित्तीय रिपोर्ट की योजना और बजट की चर्चा और अनुमोदन के लिए बैठक।

एजेंडा:

ग्राम सभा की बैठक का एजेंडा विचार-विमर्श को परिभाषित करता है। एजेंडा का मसौदा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं -

i.) एजेंडा आइटम लें जिन पर ग्राम सभा निर्णय लेने के लिए सक्षम है

ii.) एजेंडा आइटम जिन पर ग्राम सभा अन्य संस्थानों के लिए ग्राम सभा के विचारों पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है

निर्णय लेना:

ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसे चर्चा और आम सहमति के बाद प्रत्येक एजेंडा आइटम पर अंतिम निर्णय की आवश्यकता होती है जिसे बैठक के कार्यवृत्त में दिया जाता है।

कार्यान्वयन और निगरानी:

ग्राम पंचायत और अन्य एजेंसियों / विभागों में किए गए कार्यों की निगरानी करने की शक्ति और जिम्मेदारी ग्राम सभा के पास है।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य

ग्राम पंचायत के बुनियादी कार्यों में शामिल हैं:

- i) ग्राम सभा द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक विकास योजना तैयार करना
- ii.) विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक बजट तैयार करना
- iii.) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत जुटाना
- iv.) गांवों के सामान्य संपत्ति संसाधनों - आम रास्ते, जल निकायों, आदि से अतिक्रमण हटाना।
- v.) घरों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अन्य बातों के अलावा सामुदायिक योगदान जुटाना
- vi.) ग्राम पंचायत के गांवों से संबंधित वार्षिक आंकड़े बनाए रखना vii. ग्राम पंचायत की संपत्ति को सूचीबद्ध करना और बनाए रखना
- viii.) मानव जाति, मवेशियों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों आदि की जनसंख्या जनगणना के लिए जनगणना संचालन में सहायता करना।
- ix. हर घर, स्कूल और आंगनबाड़ी, आश्रमशाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पंचायत के लिए कार्यक्रम तैयार करना
- x.) जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए ग्राम कार्य योजना तैयार करना xi.) विभिन्न सर्वेक्षणों को सुगम बनाना
- xii.) सामान्य संपत्ति संसाधनों पर नियंत्रण रखें
- xiii.) नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता और मात्रा की सुरक्षित पेयजल सुविधा सुनिश्चित करें
- xiv.) सुरक्षित स्वच्छता सुनिश्चित करें और ग्रामीणों के लिए बुनियादी सुविधा के रूप में दूसर जल प्रबंधन का प्रावधान करें
- xv) जल स्रोत स्थिरता की दिशा में कार्य
- xvi.) उन लाभार्थियों की पहचान करें जिन्हें जीपी में नल का पानी कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए
- xvii.) पंचायत में जल प्रदूषण और जल जनित रोगों के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाना
- xviii.) गांवों में उपलब्ध आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना
- xix.) कार्यक्रम के तहत बनाए गए जलापूर्ति बुनियादी ढांचे के रखरखाव, मरम्मत, संचालन और रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षित नल के पानी की कनेक्टिविटी के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाकर ग्राम पंचायत की आय को जुटाना
- xx) पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना और जल स्रोत को मजबूत करने की दिशा में काम करना
- xxi) पानी समिति का गठन करें

- xxii.) तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) को प्रस्ताव जमा करें
- xxiii.) पानी समिति के लिए बैंक खाता खोलना और सामुदायिक योगदान का संग्रह
- xxiv.) गांव/बहु-गांव बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सामुदायिक योगदान प्राप्त करने के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा
- xxv.) एकत्र की गई निधि का उपयोग ओ एंड एम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा
- xxvi.) पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बैंक खाते के विवरण को सार्वजनिक करना होगा

ग्राम सभा में महिलाओं की भूमिका

संविधान ने पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि या समुदाय के रूप में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान भूमिका अनिवार्य की है। विकास योजना, कार्यान्वयन और लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल करने में जेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में महत्वपूर्ण चिंताओं पर ध्यान दें।

i. विकास योजना और निर्णय लेने में महिलाओं की जरूरतों को शामिल करने की सुविधा के लिए ग्राम सभा की बैठक में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना

ii.) सुनिश्चित करें कि घर, स्कूल, आंगनवाड़ी और में पानी की नियमित और सुरक्षित आपूर्ति हो स्वास्थ्य केंद्र

iii.) ग्राम सभा में हर घर जल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना

iv.) स्थानीय लोगों को बुनियादी ढांचे के विकास और जरूरत पड़ने पर मरम्मत कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना

v.) पानी समिति और निगरानी समिति की क्षमता का निर्माण

vi.) समिति के सदस्यों को उनके प्रशिक्षण, विश्वास निर्माण और कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करना।

vii. समुदाय को संगठित करने में ISAs का समर्थन प्राप्त करना

viii.) हर घर जल कार्यक्रम के तहत महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के अवसरों को सक्षम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना

एक महत्वपूर्ण जन के रूप में महिलाओं की उपस्थिति निर्णय लेने में महिलाओं की वास्तविक महसूस की गई जरूरतों को शामिल करने में मदद करती है। अध्ययनों ने पुष्टि की है कि महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतों ने विकास के एजेंडे में बदलाव लाया है, अब पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए आजीविका के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गरीबों, वृद्धों, अलग-अलग सक्षम और वंचितों के कवरेज को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साधारण सुविधाएं। विकास एजेंडा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जो निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के एजेंडे से लेकर सेवा वितरण तक समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है।

पानी समिति

पानी समिति का गठन करना और ग्राम स्तर पर पानी और स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है।

ग्राम सभा के दौरान पानी समिति का गठन किया जाता है जिसमें सभी वयस्क सदस्य उपस्थित होते हैं, और सदस्यों का चयन आम सहमति से खुली सार्वजनिक बैठक में किया जाता है।

पानी समिति में 10-15 सदस्य होते हैं जिनमें 25% निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य, 50% महिलाएँ गाँव की और शेष 25% प्रतिनिधि गाँव के कमजोर वर्ग के होते हैं, जिसमें उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल होते हैं।

वरिष्ठ समुदाय के नेताओं, सेवानिवृत्त शिक्षकों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को पानी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक जाति, समुदाय और धर्म को पानी समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

पानी समिति का कार्यकाल 2-3 वर्ष का होता है। जब पानी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो राज्य सरकार को बिना किसी बाधा के सेवाओं को जारी रखने के लिए एक पानी समिति को बहाल करना पड़ता है।

पानी समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:

- i. जलापूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करना सुनिश्चित करें
- ii.) गांव में जलापूर्ति योजना की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव
- iii.) प्रत्येक मौजूदा ग्रामीण परिवार, भविष्य में उभरने वाले किसी भी नए घर को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि मुख्य बस्ती से दूर स्थित बिखरे हुए घर कार्यक्रम के तहत छूटे नहीं हैं।
- iv. राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा अंतिम रूप दी गई लागत पर एजेंसियों से सेवाओं, वस्तुओं, सामग्रियों की खरीद की सुविधा प्रदान करना।
- v. समय-समय पर सामुदायिक अंशदान जमा करने और कर्मियों के संचालन और रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए धन का उपयोग करने के लिए बैंक खाता खोलें। यदि किसी मौजूदा बैंक खाते का उपयोग किया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योगदान और प्रोत्साहन निधि के लिए एक अलग खाता बही रखा जाए
- vi.) गांव के बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 5-10% योगदान करने के लिए समुदाय को जुटाना और प्रेरित करना। योगदान नकद, या वस्तु या श्रम के रूप में हो सकता है
- vii.) खाते के लिए रजिस्टर बनाना और बनाए रखना जो समुदाय के योगदान को विस्तार से दर्शाता है
- viii. ग्राम पंचायत के ग्राम संपत्ति रजिस्टर में पेयजल संपत्ति का विवरण दर्ज करें
- ix.) जल स्रोत स्थिरता, ग्रे सहित गांव के बुनियादी ढांचे के निर्माण का पर्यवेक्षण करें, जल पुनः उपयोग और जल संरक्षण के उपाय
- x.) तृतीय पक्ष निरीक्षण और कार्यात्मकता मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना

xi.) पीआरए गतिविधियों के लिए समुदाय को संगठित करना, पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाना, पानी का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के साथ आना और जनता के लिए आम स्थानों पर संदेशों सहित नियमित आईईसी अभियान सुनिश्चित करना।

xii.) नियमित मरम्मत और रखरखाव में भाग लेने के लिए पंप ऑपरेटर, नंगे पांव तकनीशियन को नियुक्त करना या नियुक्त करना

पानी समिति के अध्यक्ष अपने सदस्यों की मदद से समय-समय पर बैठकें बुलाएंगे। जेजेएम ने जलापूर्ति की स्थिति पर चर्चा करने और रिकॉर्ड पेश करने के लिए मासिक बैठकों का प्रावधान किया है। बैठक के लिए पानी समिति के सभी सदस्यों को आमंत्रित करना अनिवार्य है। बैठक की सूचना पहले से देनी होगी ताकि लोग इसमें भाग ले सकें।

हैंडआउट 7

निगरानी समिति

जलापूर्ति योजना के कामकाज की निगरानी के लिए गांव में ग्राम पंचायत द्वारा 5 सदस्यीय महिला उपसमिति का गठन किया जायेगा. समिति गांव में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी।

समुदाय नियमित स्वच्छता निगरानी करेगा और सामूहिक रूप से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र पर निर्णय करेगा।

आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए समिति समय-समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच भी करती है। ये परीक्षण जल स्रोत और वितरण बिंदुओं पर फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके किए जाते हैं।

यह आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता पर लोगों का विश्वास बनाने और जल प्रदूषण से संबंधित किसी भी मुद्दे को समय पर संबोधित करने का एक साधन है।